न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 170/2024 दायर दिनांक: 20.12.2024

उनवान

1. अशोक पुत्र कनीराम जाति धाकड़ नि. निपानिया तहसील पिडावा
2. केलाशबाई पत्नी कनीराम जाति धाकड़ नि. निपानिया तहसील पिडावा
3. धापूबाई पत्नी नरसिंह लाल जाति धाकड़ नि. निपानिया तहसील पिडावा
4. मुकेश पुत्र कनीराम जाति धाकड़ नि. निपानिया तहसील पिडावा
5. मनोहर पुत्र पूरा जाति धाकड़ नि. निपानिया तहसील पिडावा
6. मानसिंह पुत्र पुरीलाल जाति धाकड़ नि. निपानिया तहसील पिडावा
7. राकेश पुत्र कनीराम जाति धाकड़ नि. निपानिया तहसील पिडावा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति महाजन नि. पिड़ावा तहसील पिडावा
2. ईश्वरलाल पुत्र पीरु जाति मेघवाल नि. निपानिया तहसील पिडावा
3. कमलाबाई पुत्री अमरलाल जाति मेघवाल नि. तुमडियाखेड़ी तह. पिडावा
4. द्वारकीबाई पत्नी शिवलाल जाति मेघवाल नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
5. नरेन्द्र कुमार पुत्र पीरु जाति मेघवाल नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
6. पूरीबाई पत्नी प्रभुलाल जाति मेघवाल नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
7. मृतक – लालचन्द पुत्र पीरु जाति मेघवाल नि. निपानिया तह. पिड़ावा

7/1 धीरु पुत्र लालचन्द नाबालिग जरिये वली माता संतोषबाई जाति मेघवाल नि. निपानिया तहसील पिड़ावा

7/2 संतोषबाई पत्नी लालचन्द जाति मेघवाल नि. निपानिया तह. पिड़ावा

8. श्यामा पुत्र गुलाबं जाति मेघवाल नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
9. इन्द्राबाई पत्नी स्व० पीरु
10. फूलबाई पत्नी कालुलाल निवासी तुमड़ियाखेडी
11. सन्जुबाई पुत्री पीरु जाति मेघवाल नि. निपानिया तहसील पिड़ावा
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

प्रार्थीगण – श्री ईश्वरसिंह

अप्रार्थी सं. 1 – श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थी सं. 2 से 11 – एकतरफा

अप्रार्थी सं. 12 – पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनाकः 30.06.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम निपानिया पटवार हल्का बोरखेड़ी तहसील पिड़ावा की आराजी खाता संख्या 276 की खसरा नं. 1 रकबा 1.3152 है० आराजी स्थित है। जी प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी है। नकल जमाबंदी सम्वत 2073–76 संलग्न है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 601 पर आने–जाने का रास्ता खसरा नं. 631 पर बने ग्राम निधानिया से तुमड़ियाखेड़ी ग्रेवल मार्ग से अप्रार्थीगण नं. 2 लगायत 8 के खसरा नं. 596/611 में होकर अप्रार्थी नं. 1 के खसरा नं. 500 की दक्षिण मेड़ से होते हुए खसरा नं. 602 की दक्षिण मेड़ पर होकर है। प्रार्थीगण इसी रास्ते पर होकर निकलते रहे है। परन्तु अप्रार्थी नं. 1 ने अब निकलने से मना कर दिया है और उसने रास्ता बंद कर दिया है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक (Alternative) रास्ता नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के संबंध में प्रार्थी की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है (The neccesity is absolute neccesity and is not for mere covenien enjoyment of holding) अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा रास्ता रोकने से भी प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने–जाने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिए 12 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिसको प्रार्थीगण द्वारा अपने ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने ले जाने में उपयोग में लाया जा सके। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रुप में मुआवजे के बदले नियमानुसार निर्धारीत राशि भुगतान करने के लिए तत्पर है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त संबंध में श्रीमान तहसीलदार साहब पिड़ावा के यहां रास्ता खुलासा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निपानिया पटवार हल्का बोरखेड़ी भू०अभि०नि० क्षेत्र पिड़ावा तह० पिड़ावा की आराजी खाता संख्या 276 की खसरा नं. 601 रकबा 1.3152 है० पर आने–जाने का रास्ता 12 फीट चौड़ाई का ग्राम निपानिया पटवार हल्का बोरखेड़ी की आराजी खसरा नं. 596/611 में से होकर खसरा नं. 597 की दक्षिण मेड़ पर व खसरा नं. 602 की दक्षिणी मेड़ पर होकर स्वीकृत किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार पेश है:–यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 अप्रार्थी नं. 1 से सम्बन्धित होने से जवाब का मोहताज नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थी नं. 1 की आराजी के दक्षिणी मेड़ पर होकर प्रार्थीगण का कभी–भी रास्ता नहीं रहा है बल्कि प्रार्थीगण दो वर्षों से जबरन अप्रार्थी नं. 1 की आराजी खसरा नं. 597 में से निकल गये थे जिन्होने अप्रार्थी नं. 1 को दिनांक 06.11.2024 को लिख कर दिया है कि हम 1 वर्ष में कानूनी कार्यवाही कर के रास्ता ले लेंगे। हम 1 नवम्बर के बाद नहीं निकलेंगे लेकिन प्रार्थीगण ने इस इकरारनामें की पालना नहीं की और अप्रार्थी नं. 1 की आराजी में से ही सनातनी रास्ता बताकर रास्ता मांगने लग गये है जो स्वीकार योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 अस्वीकार है क्योकि इस क्षेत्र में किसी भी आराजी के खसरा नम्बर का रिकार्ड अनुसार रास्ता नहीं है प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 की आराजी से आगे के खसरा नम्बरान में बने हुए रास्ते से होकर अप्रार्थी नं. 1 की पूर्वी मेड़ के पास होकर निकलते आ रहे है इसी रास्ते से अप्रार्थी नं. 1 भी स्वयं आता–जाता है इस रास्ते को अप्रार्थी नं. 1 की पूर्वी मेड़ के रास्ते को अन्य खातेदारान ने बंद कर दिया तो प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अप्रार्थी नं. 1 से ही रास्ता मांगने लग गये जो स्वीकार योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 अस्वीकार है क्योंकि अप्री नं. 1 की आराजी में होकर प्रार्थीगण का कभी–भी रास्ता नहीं रहा है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 को सीधा–सीधा व्यक्ति समझ जबरन उसकी आराजी में से रास्ता मांग रहे है जबकि अप्रार्थी नं. 1 की आराजी से करीब 2000 फीट की दूरी पर प्रार्थीगण की आराजी है। यह कि प्रार्थना पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पैरा नं. 5 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी नं. 1 की करीब 2 बीघा भूमि नष्ट होगी जो बाजार मूल्य से 12,00,000/–रुपये के लगभग की है यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी नं. 1 को भारी आर्थिक नुकसान होगा इसके अतिरिक्त अप्रार्थी नं. 1 ने अपनी पूर्वी मेड़ पर रास्ता दे रखा है जो प्रार्थीगण के खेतो तक जाता है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

3. अप्रार्थी सं. 2 से 11 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 17.02.2025 को अप्रार्थी सं. 2 से 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम निपानिया का खाता सं. 276, 356, 255, 350 की जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, खसरा नक्शा दिनांक 13.11.2024, नक्शा ट्रेस दिनांक 12.11.2024 पेश किया।

5. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से इकरारनामा दिनांक 06.11.2024 की छायाप्रति पेश की।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

6. अप्रार्थी सं. 12 पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2025/183 दिनांक 17.02.2025 मौका रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– हमराह पटवारी हल्का एवं प्रार्थी, अप्रार्थीगण के समक्ष उक्त प्रकरण सम्बन्धित मौका देखा जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम नहीं है किन्तु खसरा न. 596/611 रकबा 1.0244 हेक्टेयर खातेदार कमलीबाई वगैरह, 603 रकबा 1.4037 हेक्टेयर, खातेदार फूलबाई पत्नि कालूलाल वगै. 602 रकबा 0.1012 हे., फूलबाई पत्नि कालूलाल वगैरह, ख.नं 597 रकबा 5.2483 खातेदार कैलाशसिंह पि. इन्दरसिह जाति महा[illegible] दर्ज है। उपरोक्त खसरा नम्बरो की मेड से न[illegible] जाना उचित होगा जिसका नजरी नक्शा मय लम्बाई व चौड़ाई नीचे [illegible] है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं.	लम्बाई	चौडाई	रास्ते का रकबा
596/611	90 फीट	13 फीट	0.0126 है.
597	603 फीट	6.50 फीट	0.0506 है.
603	520 फीट	6.50 फीट	0.0316 है.
602	280 फीट	6.50 फीट	0.0160 है.

7. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम निपानिया तहसील पिडावा में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 601 रकबा 1.3152 है. तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए ख.नं. 531 पर बने निपानिया से तुमडियाखेडी ग्रेवल मार्ग से होते हुए अप्रार्थी सं. 2 से 8 की सहमति से उनकी भूमि ख.नं. 596/611 से होकर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 597 व 602 की दक्षिण मेड से होकर बने अस्थायी रास्ते का उपयोग करते आए है लेकिन कुछ समय पूर्व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ख.नं. 597 में बने प्रार्थीगण के उक्त अस्थायी रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण का खेत पडत पडा हुआ है। स्वयं तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट के बिन्दू सं. 2 में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण की आराजी तक रास्ता नहीं होने से पडत पडी हुई थी। प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक सडक भी उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में फसल नहीं बो पा रही है और मजबूरन भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है और यदि न्यायालय आदेश करे तो ख.नं. 597 व 602 के खातेदार को जमीन के बदले समान जमीन भी देने का प्रार्थीगण तैयार है। अतः प्रार्थीगण [illegible] अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. [illegible]/6[illegible], 597 व 602 की दक्षिण मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

8. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख.नं. 601 तक पहूँच हेतु रिकार्डेड रास्ता तो नहीं है लेकिन वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो ख.नं. 596 की उत्तरी मेड के सहारे होकर पूर्व की ओर ख.नं. 598 व 599 की उत्तरी व पूर्वी से होकर ख.नं. 600 की पूर्वी मेड से होकर दक्षिण मेड के सहारे पहूँचता है और प्रार्थीगण वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा व घुमदार होने से प्रार्थीगण सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है। आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण के उक्त वैकल्पिक रास्ते को ख.नं. 599 के खातेदार द्वारा कुछ समय पूर्व बंद कर दिया है लेकिन प्रार्थीगण ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करके बदनियत से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की है। दोनो पक्षो के मध्य ख. नं. 597 में होकर कोई रास्ता नहीं होने के संबंध में दिनांक 05.11.2024 को एक समझौता भी हुआ था। **अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने आगे कथन किया कि यदि प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तो अप्रार्थी सं. 1 को रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं है** अन्यथा प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

9. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और कोई निश्चित रास्ता कायम नहीं होने से पूर्व में जमीन पडत पडी हुई थी। प्रार्थीगण की भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने और आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

10. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:—

<u>(i)</u> **रिकार्डेड पहूँच मार्ग** —प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 601 तक पहूँच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम निपानिया तहसील पिडावा के लटठा नक्शा व आन लाईन नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है लेकिन अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु ख.नं. 596 की उत्तरी मेड के सहारे होकर पूर्व की ओर ख. नं. 598 व 599 की उत्तरी व पूर्वी से होकर ख.नं. 600 की पूर्वी मेड से होकर दक्षिण मेड के सहारे पहूँचता है और प्रार्थीगण वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा व घुमदार होने से प्रार्थीगण सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है। **अपनी बहस के दौरान स्वयं अप्रार्थी सं. 1 ने स्वीकार किया है कि उक्त वैकल्पिक रास्ते को ख.नं. 599 के खातेदार द्वारा कुछ समय पूर्व बंद कर दिया है** लेकिन प्रार्थीगण ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करके बदनियत से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की है। तहसीलदार पिडावा द्वारा भी अपने जवाब दिनांक 17.02.2025 में पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।**

(iii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट [illegible] 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया है कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) लघुतम रास्ता होनाः— पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक दिनांक 17.02.2025 से जाहिर है कि लघुत्तम रास्ता ख.नं. 596/611 की दक्षिण मेड के सहारे होते हुए ख.नं. 597 की दक्षिण मेड के सहारे होकर उत्तर पूर्व की ओर होगा जिसकी लम्बाई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 596/611 में से 90 फीट लंबा एवं ख.नं. 597 में से 825 फीट लम्बा रास्ता अप्रार्थीगण की कब्जाकाश्त भूमि प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग में आएगी। प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 10 फीट चौडा रास्ता ही पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 601 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आने वाली कुल 9150 वर्ग फीट भूमि (ख.नं. 596/611 में 900 व ख.नं. 597 में 8250 वर्ग फीट) का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है और भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। अप्रार्थी सं. 1 भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर रास्ता देने का सहमत है। **राजस्थान काश्तकारी संशोधन अणिनियम 2023 (2023 का अधिनियम संख्याक 2023) दिनांक 02.09.2023 राजस्थान राजपत्र भाग 4 क पेज नं. 409 दिनांक 06.09.2023** के तहत धारा 251 ए की उपधारा (1) आर.टी.एक्ट में संशोधन कर अवधारित किया गया कि प्रतिकर के संज्ञाय के एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर रास्ता दिया जा सकता है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थी सं. 1 की ख.नं. 597 की 8250 वर्ग फीट की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की लगवा भूमि ख.नं. 601 में से 8250 वर्ग फीट भूमि दिये जाने पर एवं ख.नं. 596/611 के खातेदार अप्रार्थी सं. 2 से 8 को रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि 900 वर्ग फीट का डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार पिडावा की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 17.02.2025 के अनुसार ग्राम निपानिया तहसील पिडावा की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 601 तक पहूँच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम निपानिया तहसील पिडावा की अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 597 से रास्ते की भूमि रकबा 8250 वर्ग फीट की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की लगवा भूमि ख.नं. 601 में से 8250 वर्ग फीट भूमि दिये जाने पर एवं ख.नं. 596/611 के खातेदार अप्रार्थी सं. 2 से 8 को रास्ते की भूमि 900 वर्ग फीट भूमि का नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 2 से 8 को किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथक नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिडावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner